न्यायालयः राकेश कुमार–III

अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल

जमानत आवेदन– 400/2026

किशनपुर थाना कांड सं0– 32/2026

	मुकेश कुमार पे0 बेदानंद यादव **सा0– महेशपुर, वार्ड नं0 5, जीवछपुर, थाना–पिपरा, जिला– सुपौल...आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार...विपक्षी**	
17/06/26	काराधीन अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है एवं कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व जमानत आवेदन सं0 355/2026 दाखिल किया गया था जिसे टाईपिंग त्रृटि रहने के कारण बिना गुण दोष के श्रीमान् द्वारा दिनंक 27/05/2026 कसे निष्पादित कर दिया गया। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध इस इस के अलावे पिपरा थाना कांड सं0 43/26 है, जिसे प्रार्थी अभियुक्त जमानत पर है तथा प्रार्थी आवेदक के विरुद्ध पिपरा थाना कांड सं0 413/2015 में दिनांक 20/04/2026 को रिमांड किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त को पिपरा थाना कांड सं0 43/26 में दिये गये स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर प्रस्तुत वाद में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त है। प्रार्थी आवेदक के कब्जे से किसी प्रकार क समान बरामद नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा मामले को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का पहचान पैरेड इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया गया है जो गहन जांच का विषय है, जिसे निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जायेगा। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 06/03/26 से से काराधीन है। प्रार्थी अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद,सूचक शिवनंदन मेहता के लिखित के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध धारा 309(4) भा0दं0वि0 में दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि वह छोटा का बिजनेस अगरबत्ती खरीदकर बेचता है। उसी क्रम में दिनांक 03/02/2026 के दिन के 11.50 बजे वह ठाडी भवानीपुर से जीवछपुर नहर से जा रहा था। उसी क्रम में तीन अज्ञात व्यक्ति ग्लैमर गाड़ी से आया जिसका कलर लाल और काला था। व्यक्ति उजला शर्ट ब्लू जिंस पेहना हुआ रंग गोरा था। दूसरा भी व्यक्ति सेम कपड़ा पहना था और तीसरा व्यक्ति कथा कलर का पैंट और काला शर्ट पहना था। उपर से जैकेट पहना था जिसका कलर काला था। उसी क्रम में 8000/–	

17/06/26 **लगातार**	रूपया लूट लिया और मोबाईल लूटने का कोशिश किया। मोबाईल नहीं देने पर जान से मारने का धमकी दिया, उसके बाद दो फाइरिंग किया फिर फरार हो गया। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मोटरसाईकिल से रास्ते में जाने के क्रम में रूपया एवं मोबाईल लूट के संबंध में दर्ज किया गया है। सूचक ने अपने पुनः बयान कंडिका 4 में एवं साक्षियों ने अपने–अपने बयानों में जो कंडिका 5, 6, 12 एवं 13 में अंकित है तथा प्राथमिकी व घटना का समर्थन किया है। अनुसंधान के क्रम में कंडिका 21 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गुप्तचर द्वारा प्राप्त तीन फोटोग्राफ्स वादी को वॉट्सएप के माध्यम से भेजा जिसे सूचक ने पहचान किया तथा बताया कि उनके साथ घटना कारित करने वाले यहीं तीनों लड़के है जिसमें एक लड़का प्रार्थी अभियुक्त भी है। कांड दैनिकी के कंडिका 29 में प्रार्थी अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान में यह बात स्वीकार किया है कि प्रार्थी अभियुक्त अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक घटना को अंजाम देते है तथा यह भी बताया है कि दिनांक 03/02/2026 को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सूचक को हथियार का भय दिखाकर 8,000/– रूपया एवं मोटरसाईकिल छीन लिया। कांड दैनिकी के कंडिका 42 से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पिपरा थाना कांड सं0 43/2026 अंतर्गत धारा 309(5) दर्ज बताया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 45 से स्पष्ट होता है कि अनुसंधनकर्ता द्वारा कांड में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रार्थी अभियुक्त का समान प्रकृति का आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त **मुकेश कुमार** की ओर से दाखिल **जमानत आवेदन अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित (राकेश कुमार–III) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	**लगातार**